न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 06 / 2021

गौरव गर्ग, नदिया मोहल्ला ,दत्ता गेस्ट हाउस के सामने भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 02.02.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट गौरव गर्ग, नदिया मोहल्ला, दत्ता गेस्ट हाउस के सामने भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 24.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 50 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक 21 दिनांक 19.01.2021 से जबाव प्राप्त हुआ जो संलग्न मिसिल है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जबाव पर गौर किया। प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि उनके पत्र कमांक 1482 दिनांक 03.12.2020 से अपीलान्ट को निर्धारित सूचना शुल्क जमा कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु आवेदक द्वारा न तो सूचना शुल्क जमा कराई गई और न इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया है। इस कारण आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के जबाब पत्र कमांक 21 दिनांक 19.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बार में प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी उनके कार्यालय में निर्धारित सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है और न इस सम्बन्ध में आगे कोई पत्राचार किया है। इससे यह निर्विवाद है कि [illegible] सूचना लम्बित नहीं [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज के रहती है। फिर भी अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती [illegible] यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

वे वांछित सूचना लेने के इच्छुक हों तो प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के कार्यालय में नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त पत्रादिं के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:09:05 IST
Reason: SelfAttested